BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 25 जनवरी, 2025 **CRACKDOWN BULANDSHAHR** **थाना नरसैना**

हत्या की घटना में वांछित 25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी से थाना नरसेना पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 01 बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व आलाकत्ल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2025 को थाना नरसैना पुलिस टीम रात्रि गश्त व वांछित अभियुक्तों की तलाश में ग्राम बंशी से बुगरासी रोड पर गस्त में मामूर थी तभी एक संदिग्ध व्यक्ति बुगरासी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया जोकि पुलिस टीम को अपनी तरफ आता देखकर वापस बुगरासी की तरफ मुडकर भागने लगा। जिसपर पुलिस टीम ने व्यक्ति का पीछा किया तो नहीं रूका तथा कुछ दूरी पर बम्बे की पुलिया के पास पुलिस टीम द्वारा घेर लिया गया। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान मोनिश उर्फ टुच्ची पुत्र देवराज सिंह निवासी ग्राम बंशीबांगर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा,कारतूस व आलाकत्ल बरामद हुए है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाश शातिर किस्म का अपराधी हैं। जिसके द्वारा दिनांक 18.05.2024 को थाना नरसैना क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति रामपाल की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नरसैना पर मुअसं 117/24 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. मोनिश उर्फ टुच्ची पुत्र देवराज सिंह निवासी ग्राम बंशीबांगर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

2- आलाकत्ल(घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा)

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नरसैना पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनिश उर्फ टुच्ची का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-92/18 धारा 302/394 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ ।

2- मुअसं-221/18 धारा 380/457/411 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।

3- मुअसं-247/18 धारा 307 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।

4- मुअसं-249/18 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।

5- मुअसं-427/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।

6- मुअसं-631/18 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।

7- मुअसं-267/19 धारा 307 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।

8- मुअसं-268/19 धारा 25 आयुध अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ ।

9-	मुअसं-501/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
10-	मुअसं-144/22 धारा 5/25 आयुध अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
11-	मुअसं-49/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
12-	मुअसं-117/24 धारा 302/201 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।
13-	मुअसं- 18/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-	श्री चन्दगीराम प्रभारी निरीक्षक थाना नरसैना।
2-	उ0नि0 सोबरन सिंह, उ0नि0 आसिफ रजा।
3-	है0का0 विपिन जावला, का0 हेमन्त कुमार, का0 गुलामनबी, का0 मनीष कुमार।

मीडिया सेल बुलंदशहर